

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1955/2978317/2025/ई/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 22/09/2025

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग
2. संचालक, लोक अभियोजन, म.प्र.
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्य प्रदेश
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश
5. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश

विषय:- एस०एफ०आई०सी० एवं आंतरिक लेखा परीक्षण के प्रकरणों में वित्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई जांच/लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन में गबन पाये जाने पर विभागीय जांच में गवाह तथा अभियोजन साक्षी बनाये जाने से मुक्त रखे जाने के संबंध में।

---000---

कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा के अंतर्गत State Financial Intelligence Cell (SFIC) गठित है, जिसके द्वारा Integrated Financial Management Information System (IFMIS) में विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा किये गए भुगतानों के डाटा का विश्लेषण करने का कार्य संपादित किया जाता है। साथ ही, विभिन्न कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य आंतरिक लेखा परीक्षण के दलों द्वारा किया जाता है। SFIC के प्रकरणों में विभिन्न स्तरों से जारी किये गये जांच प्रतिवेदन एवं आंतरिक लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन में गबन पाये जाने पर संबंधित कार्यालय द्वारा उनके कार्यालय के अपचारी कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित की गई विभागीय जांच एवं पुलिस अन्वेषण में कोष एवं लेखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को अभियोजन साक्षी बनाया जा रहा है।

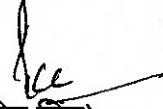
म०प्र० वित्तीय संहिता के नियम 22, 23, 25 एवं वित्तीय संहिता के परिशिष्ट 1-अ के प्रावधानों के अनुसार विभागीय व विधिक कार्यवाहियां, उत्तरदायित्व का निर्धारण, शासन को हुई हानि की वसूली की कार्यवाही संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालय द्वारा की जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि महालेखाकार के अंकेक्षण आक्षेप को आधार न बनाने के संबंध में म०प्र० वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 941/1784/चार/ब-1/93 दिनांक 04.11.1993 से निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों में यह लेख किया गया है कि "महालेखाकार द्वारा जो आपत्तियां की जाती हैं वह कानूनों, नियमों के आधार पर ही होती हैं। ऐसी कार्यवाहियों पर प्रभावी कार्यवाही की जाना संबंधित अधिकारी का

कर्तव्य है। यदि महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति वैध प्रतीत न हो या तथ्यों से परे हो तो तदनुसार महालेखाकार को संबंधित कार्यालय द्वारा प्रत्युत्तर भेजा जा सकता है। यदि आपत्ति सही है तो जिस आधार पर उठाई गई है, उसी आधार पर वसूली आदि कार्यवाही की जाना चाहिए। यह कदापि अपेक्षित नहीं है कि महालेखाकार के प्रतिवेदन को आधार बनाया जाये, जिसके कारण उन्हें आपत्तियों के लिये न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना पड़े।"

अतः पुलिस अन्वेषण तथा विभागीय जांच संबंधी कार्यवाहियां संबंधित विभाग स्तर से ही संपादित की जावें। जांच प्रतिवेदन में वर्णित बिंदुओं की अपने स्तर से पुष्टि कर आवश्यक अनुशासनात्मक/विधिक कार्यवाहियां की जावें एवं जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित बिंदुओं को जांचकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के कथन के रूप में मान्यता प्रदान कर पुलिस अन्वेषण/विभागीय जांच में गवाह/अभियोजन साक्षी बनाने से मुक्त रखा जावे। यदि जांच प्रतिवेदन में वर्णित बिंदु तथ्यों से परे हों या उचित प्रतीत न हों, तो इस हेतु कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा को लेख किया जावे।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)


(रोहित सिंह)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक: 22/09/2025

पृ. क्रमांक 1956/2978317/2025/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल म.प्र.
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, समस्त संभाग म.प्र.
3. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग